न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 77/2020

उनवान

कालू पुत्र नाथू जाति जाट निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. रतन पुत्र नारायण जाति जाट निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

दिनांक :– 31.8.21

–: निर्णय :–

अधिवक्ता वादी उक्त वाद पत्र पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम व भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देराठू की निम्न आराजी वादी की पुश्तैनी खातेदारी की है :–

खाता संख्या	खसरा नम्बर किता	रकबा
1310/1232	किता 4	0.97
1043/1233	किता 4	0.68
1291/1235	किता 14	4.08

उक्त आराजी के खातेदार नाथू की मृत्यु हो गयी है। तथा वादी कालू पुत्र नाथू का नाम राजस्व अभिलेख में बतौर वारिस दर्ज किया गया। आराजी मुतनाजा में नारायण पुत्र बख्तावर की मृत्यु होने से उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 रतन पुत्र नारायण का नाम सही रूप से अंकन करने के बजाय दावाकृत भूमि में रतन पुत्र नाथू गलत अंकित कर दिया जबकि खाता संख्या 895/860 व 896/859 में सही रूप से प्रतिवादी संख्या 1 रतन पुत्र नारायण का बतौर वारिस खातेदार अंकन किया गया है। रतन के पिता का नाम नारायण के स्थानी पर नाथू अंकित होने से वादी कालू पुत्र नाथू का हक च हिस्सा कम हो गया है। अतः रतन पुत्र नाथू के स्थान पर आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी [illegible] किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर राज[illegible]कर निवेदन किया कि पक्षकरान में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। [illegible] रतन पुत्र नाथू के बजाय रतन पुत्र नारायण सही रूप से अंकि[illegible] काल होने से वादी कालू के नाम भूमि अंकन करने के वाद को स्वीकार किया जाता [illegible]क्षकारान को कोई आप[illegible] नही है। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्ध करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 14:01:03 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता प्रतिवादी व राज0 पैरोकार ने साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख में कालू पुत्र नाथू, रतन पुत्र नाथू, नारायण पुत्र बख्तावर व अन्य व्यक्तियों के नाम सह खातेदारी दर्ज है। वादी कालू नाथू का पुत्र है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 रतन नारायण का पुत्र है। वर्किंग जमाबंदी के अनुसार नारायण व नाथू के पिता का नाम बख्तावर है। नाथू की विरासत दर्ज करते समय नामान्तकरण संख्या 51 से नाथू के स्थान पर रतन व कालू पि0 नाथू अंकित कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा, शजरा प्रमाण पत्र आधार कार्ड में रतन के पिता का नाम नारायण है। उक्त नामान्तकरण में त्रुटिपूर्ण तरीके से नाथू की विरासत दर्ज करते समय कालू के साथ रतन का नाम भी अंकित कर दिया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व राजीनामें से वाद के कथनों की ताईद होती है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 के पिता नारायण पुत्र बख्तावर की विरासत आराजी मुतनाजा में दर्ज नही हुयी है। ग्राम देराठू के ही खाता संख्या 896/859 किता 12 रकबा 2.60, 895/860 किता 12 रकबा 3.88 की आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम रतन पुत्र नारायण अंकित है तथा उक्त खातों में नाथू की विरासत अकेले वादी कालू के नाम दर्ज है। उक्तानुसार आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज तथा पक्षकारों की स्वीकारोक्ति वाद के कथन हेतु ग्राह्य व निर्णायक है।

अतः ग्राम देराठू के खाता संख्या 1310/1232 किता 4 रकबा 0.97, 1043/1233 किता 4 रकबा 0.68 व 1291/1235 किता 14 रकबा 4.08 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर रतन पुत्र नाथू के हिस्से का खातेदार वादी को घोषित किया जाता है। नारायण पुत्र बख्तावर की विरासत नियमानुसार दर्ज की जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 14:01:03 IST
Reason: SelfAttested